प्रशासन गांवों के संग
अभियान –2021

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (नागौर) राज.

पीठासीन अधिकारी :– शिवपाल जाट , आर.ए.एस.

प्रार्थीगण :	बनाम	अप्रार्थीगण :
1. केसरी देवी पत्नी चौथू 2. घासीराम पुत्र सुजाराम जाति मेघवाल निवासी अडाणी		1– तहसीलदार साहब परबतसर

प्रार्थना पत्र बाबत :– अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट
उपस्थित :– श्री श्यामनिरंजन बोहरा अधिवक्ता प्रार्थीगण
:– श्री जगराम मीणा, राजपैरोकार

मुकदमा नम्बर :– 146/2021 निर्णय दिनांक :– 11–10–2021

निर्णय

1. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री श्यामनिरंजन बोहरा ने यह प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम अडाणी के खसरा नम्बर 152 रकबा 7.9800 हैक्टर स्थित हैं जिसमे प्रार्थीगण सहखातेदार काश्तकार हैं तथा प्रार्थीगण की जाति मेघवाल है लेकिन राजस्व कर्मचारियो की गलती से जाति मेघवाल के स्थान पर रेगर दर्ज हो गई प्रार्थीगण की जाति गलत दर्ज होने से प्रार्थीगण को अपनी भूमि का उपयोग उपभोग करने मे भारी समस्या हो रही है प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र पेश कर उक्त आराजियात में प्रार्थीगण की जाति रेगर के स्थान पर मेघवाल कर राजस्व रेकर्ड दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया है।
2. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से राजपैरोकार ने जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर सेग्रिकेशन के दौरान जाति रेगर के स्थान पर मेघवाल दर्ज कर दिया गया है जो गलत है प्रार्थीगण की जाति दुरूस्त किया जाना उचित है।

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

3. प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पर उभय पक्षकारो की बहस सुनी गई पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज एवं विधि के सुसंगत प्रावधानो का अवलोकन किया गया बहस पर मनन किया गया।

4. उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 के अनुसार ग्राम अडाणी के खसरा नम्बर 152 रकबा 7.9800 हैक्टर में प्रार्थीगण की जाति रेगर दर्ज है। जबकि गत जमाबन्दी सम्वत 2057–62 के अनुसार प्रार्थीगण की जाति मेघवाल दर्ज है प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प खोखर में उपस्थित ग्राम के मौजीज व्यक्तियों से जानकारी करने पर भी सभी ने प्रार्थीगण की जाति मेघवाल होना बताया है प्रार्थीगण ने अन्य सभी दस्तावेजत में जाति मेघवाल दर्ज है जिससे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र साबित होता है स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार परबतसर को आदेश दिया जाता है कि ग्राम अडाणी के खसरा नम्बर 152 रकबा 7.9800 हैक्टर में प्रार्थीगण केसरी देवी व घासीराम की जाति रेगर के स्थान पर मेघवाल दर्ज कर रेकर्ड दुरूस्त यिका जावे।

यह आदेश प्रशासन गांवो के संग अभियान में दिनांक 11.10.2021 को सुनाया गया।

11/10/21

(शिवपाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)